# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 58/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/67

1. अनाराम पुत्र हरिराम जाति सियाग जाट निवासी ग्राम बीरमसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. आसूराम पुत्र हरिराम जाति सियाग जाट निवासी ग्राम बीरमसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. ज्यानी देवी पत्नी हरिराम जाति सियाग जाट निवासी ग्राम बीरमसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. भगवानाराम पुत्र हरिराम जाति सियाग जाट निवासी ग्राम बीरमसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

## बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखा।

—— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री राकेश कुमार रंगा —अभिभाषक अपीलांट
मोहम्मद इम्तियाज अली —राजकीय अभिभाषक

## निर्णय

दिनांक 04.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 24.01.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलार्थीगण की पैतृक खातेदारी भूमि वाके ग्राम बीरमसर पटवार हल्का रायसर तहसील नोखा के खसरा सं. 300 में 4.70 हैक्ट., 500 में 0.43 हैक्ट, 502 में 2.90 हैक्ट., 508 में 3.36 हैक्ट., 510 में 4.23 हैक्ट., 512 में 0.37 हैक्ट., 627/507 में 0.21 हैक्ट. कुल 7 खसरों में कुल तादादी 16.02 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वर्तमान में अपीलांट्स की भूमि खसरा सं. 300 के क्रमशः तीन खसरा 1092/300, 1093/300 व 1094/300 बना दिये। उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट्स की भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ कार्यालय के उक्त अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश दिनांक 24.01.2022 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की खातेदारी पैतृक भूमि के सींव पर रास्ता कायम है और लगातार उपयोग में भी लिया जा रहा है। बावजूद इसके अपीलांट के कब्जा काश्त खेत में बीच में से रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज कर दिया, जो कि पूर्णतया खिलाफ कानून होने के कारण काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आवेदन के और बिना किसी पक्षकार के द्वारा कटाणी मार्ग को कायम करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अथवा मुकदमा नहीं किया गया हैं और ना ही कोई मार्ग कायम करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अथवा मुकदमा नहीं किया गया है तथा ना ही कोई मार्ग कायम करने हेतु कार्यवाही ही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर जांच किये अपीलांट के खेत के बीच में से तीरछा मार्ग कायम करते हुए अपीलांट के खसरा संख्या 300 के त्रिभुजाकार रास्ता कायम कर केवल मात्र किसी खातेदार को अनुचित फायदा पंहुचाने की नीयत से रास्ता नक्शे में कायम किया गया जबकि मौके पर पुराने मार्ग पीढ़ियों से चले आ रहे है, जिसकी बाबत कोई जांच नहीं की गई और ना ही पैमाईश की गई। हल्का पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट की सत्यता की जांच करने हेतु ग्राम पंचायत तथा अपीलांट को नोटिस देकर उन्हें अपना जवाब व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। अपीलांट को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी प्राप्त होने की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें तथा अन्य

3— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 द्वारा राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार 216 के अनुसरण में एवं राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 द्वारा भू राजस्व अधिनिमय की धारा 131, 132 तथा 136 तक प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में ग्राम वीरमसर में चल रहे प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2022 पारित करते हुए गै.मु. रास्ता का अंकन करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना तथा मौके की जांच किये बिना इकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2022 अपीलांट की भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोखा को समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रंति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर